N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0178   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/07/2025 19:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 19/06/2025   Date To (दिनांक तक): 08/07/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 09:40 बजे   Time To (समय तक): 15:35 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/07/2025   Time (समय): 18:26 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/07/2025 19:08:18 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 4 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): RRVPN, BHARATPUR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MAHESH KUMAR MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): KADURAM MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1975 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JHAROTI, खेडली मोड, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JHAROTI, खेडली मोड, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AVNEESH SONI		पिता:NARENDRA SONI	1. 11,DARSHANPURA,MB COLLEGE KE SAMNE,UDAIPUR,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	5000 रूपये भारीतीय चलन मुद्रा एवं 25000 डमी रूपये	30,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं महेश कुमार मीणा गॉव पोस्ट झारोटी तह0 भुसावर जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मेरी फर्म का नाम रजनी कंस्ट्रक्शन कम्पनी झारोटी, भुसावर, भरतपुर में आर.आर.वीपीएनएल जयपुर (विद्युत विभाग) का सरकारी कॉन्ट्रेक्टर हूं। मैंने अभी बगडी (लालसोट) जीएसएस, धौलाकुआ जीएसएस (महवा), नगर जीएसएस कार्य पूर्ण कर दिया गया और जीएसएस डीडवाना (लालसोट), जीएसएस दौसा के कार्य चल रहे हैं तथा एसडी और एमडी बांदीकुई के कार्य को लेकर एक्सईएन अवनीश सोनी से मिला तो उन्होंने कमीशन के रूप में 15,000 रूपये की रिश्वत मांगी तो मैने कहा कि आपसे फुर्सत में आकर मिलता हूं। आज मैं इनसे दुबारा मिलने जा रहा हूं और मै इन्हे रिश्वत नही देना चाहता और इन्हे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई रंजिश नही है और नाही कोई पुराना लेनदेन बकाया है। कृपया इनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी महेश मीणा, प्रार्थी महेश कुमार मीणा गॉव पोस्ट झारोटी तह0 भुसावर जिला भरतपुर मो0 [redacted], दिनांक 19.06.25 एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 19.06.25, एसडी डॉ0 शिवदत्त 08.07.25 एसडी श्री सत्यप्रकाश 08.07.25 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.06.2025 को समय 09.40 ए.एम. पर परिवादी श्री महेश मीणा पुत्र श्री काडूराम मीणा जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी झारौटी पुलिस थाना खेडली मोड जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति मय अपनी फर्म रजनी कंस्ट्रक्शन कम्पनी का आर आर वी पी एन में पंजीयन के कार्यालय आदेश की प्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं महेश कुमार मीणा गॉव पोस्ट झारोटी तह0 भुसावर जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मेरी फर्म का नाम रजनी कंस्ट्रक्शन कम्पनी झारोटी, भुसावर, भरतपुर में आर.आर.वीपीएनएल जयपुर (विद्युत विभाग) का सरकारी कॉन्ट्रेक्टर हूं। मैंने अभी बगडी (लालसोट) जीएसएस, धौलाकुआ जीएसएस (महवा), नगर जीएसएस कार्य पूर्ण कर दिया गया और जीएसएस डीडवाना (लालसोट), जीएसएस दौसा के कार्य चल रहे हैं तथा एसडी और एमडी बांदीकुई के कार्य को लेकर एक्सईएन अवनीश सोनी से मिला तो उन्होंने कमीशन के रूप में 15,000 रूपये की रिश्वत मांगी तो मैने कहा कि आपसे फुर्सत में आकर मिलता हूं। आज मैं इनसे दुबारा मिलने जा रहा हूं और मै इन्हे रिश्वत नही देना चाहता और इन्हे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई रंजिश नही है और नाही कोई पुराना लेनदेन बकाया है। कृपया इनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मै मेरे साथ बांदीकुई जीएसएस के कार्य के एसडी रिफंड मैमो एवं एमडी रिफंड मैमो साथ लेकर जा रहा हूं। एक्सईएन इन उक्त भुगतान को स्वीकृत करने की एवज में मेरे से रिश्वत की मांग करेगा। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर तत्पश्चात श्री सुशील कुमार कानि.नं. 557 व परिवादी श्री महेश मीणा का आपस में परिचय कराकर विभागीय प्रक्रिया अनुसार डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री अवधेश कुमार एचसी 68 द्वारा कार्यालय के मालखाना से निकलवाकर परिवादी श्री महेश मीणा को रिकॉर्डर को बंद व चालू करने की विधि समझाई जाकर वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुशील कुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री महेश मीणा को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें एवं आप परिवादी श्री महेश मीणा के द्वारा बताए जाने पर रिश्वत मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन करावें। इसके बाद समय 06.30 पीएम पर श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557 से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को जरिए फर्द प्राप्त किया गया । श्री सुशील कुमार कानि. ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं और परिवादी श्री महेश मीणा दोपहर 12.30 पी.एम. पर कार्यालय से रवाना होकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आर.आर.वी.पी.एन. रीको एरिया भरतपुर पहुंचा जहां वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर अपना परिचय देकर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु कार्यालय आर.आर.वी.पी.एन. भरतपुर रवाना किया कुछ समय पश्चात परिवादी बाद सत्यापन कार्यालय से बाहर आया जिससे सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रखा एवं परिवादी ने बताया कि मेरी अवनीश एक्सईएन सिविल से बिलो के पास करने के सम्बंध में बातचीत हो गई है। जिन्होने मेरे से बिलो को पास करने की एवज में 15,000

रूपयों की रिश्वत की मांग की है और हिसाब लगाकर 13 हजार कमीशन के रूप में मेरे से मांगा तथा मेरी लगभग एक लाख रूपये की बांदीकुई जीएसएस के कार्य की एसडी व एमडी भुगतान हेतु निकाल दी हैं जिनका भुगतान आने पर रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ है और उसी दिन मै दौसा जीएसएस कार्य का रनिंग बिल मंगवाया है। तत्पश्चात एसीबी चौकी भरतपुर रवाना हुआ तो रास्ते में परिवादी के मोबाइल नम्बर [redacted] पर एक्सईएन अवनीश सोनी के मोबाइल नम्बर [redacted] से समय 3.02 पी.एम. पर कॉल आया कॉल को लाउडस्पीकर पर करवाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। कॉल पर बिलो के भुगतान सम्बंध में बातचीत हुई तत्पश्चात पुनः समय 03.20 पी.एम. पर परिवादी के मोबाइल नम्बर [redacted] पर एक्सईएन अवनीश सोनी के मोबाइल नम्बर [redacted] से कॉल आया कॉल को लाउडस्पीकर पर करवाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया , दूसरी कॉल पर एक्सईएन ने अन्य बिलो का हवाला देते हुए 36,000 रूपये रिश्वत की मांग की। परिवादी के कहने पर एक्सईएन अवनीश सोनी 30,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। तत्पश्चात एसीबी चौकी पहुंच जरिये वॉट्सएप्प कॉल हालात श्रीमान को अवगत कराए गए आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री महेश मीणा को हिदायत दी गई कि एसडी व एमडी का भुगतान आने पर रिश्वत राशि के साथ कार्यालय उपस्थित आवे बाद हिदायत समय 3.30 पी.एम. पर रूखसत किया गया था। वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद दिनांक 08.07.2025 को समय 12.30 पीएम पर परिवादी महेश मीणा उपस्थित कार्यालय आया मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पास रिश्वत राशि रिश्वत राशि 30,000/- रूपये का इन्तजाम नहीं है इस वजह से मैं 5000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के व 25,000/-रूपये डमी करेन्सी के लेकर आया हू। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया । परिवादी से रिश्वत मांग संबंधी वार्तालाप का पूछने पर उसने सुशील कानि0 द्वारा बताई गई बातों को ताईद किया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे वॉईस रिकॉर्डर मय सत्यापन वार्ता एमडी कार्ड के, को निकाला गया एवं वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर समस्त वार्ताओं को सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होनी पाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के एसडी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्री मेघ सिंह कानि0 128 को स्वतन्त्र गवाह को लाने हेतु संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर के पदनाम तहरीर देकर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री मेघ सिंह कानि0 128 उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग भरतपुर गवाह पाबन्द कर आया हू। उन्होंने कुछ समय बाद कार्यालय में आने के लिए कहा है। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये । उपरोक्त गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम क्रमशः डॉ शिवदत्त पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद जाति जाटव उम्र 46 साल निवासी 114 दीनदयाल नगर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय भरतपुर व श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री विशनलाल जाति वैश्य उम्र 36 साल निवासी नगला तेरहिया पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर हाल पशुधन निरीक्षक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपर होना बताया। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री महेश मीणा व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाकर ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा दिनांक 19.06.25 को पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट को दोनों गवाहों को पढने को दी गई एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति ली गई तो दोनो गवाहों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री महेश मीणा पुत्र श्री काडूराम मीणा जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी झारौटी पुलिस थाना खेडली मोड जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 10 नोट (दस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 5,000/-(पॉच हजार) रूपये व 50 नोट 500-500 के डमी करेंसी जिसमें प्रत्येक पर भारतीय मनोरंजन बैंक व पीछे की तरफ पॉच सौ कूपन लिखा हुआ है को अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये उक्त डमी करेंसी पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लघु हस्ताक्षर किये गये। जिनमें से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के 10 नोट जिनके नम्बरों का विवरण क्रमशः 9RE994192, 9RE 994193, 9RE994194, 7RD751536, 6VR447591, 1TU649691, 5AD693643, 5KC436428, 9GD816088, 2QT145500 हैं। पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री महेश मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह डॉ. शिवदत्त से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 10 नोट (दस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 5,000/-(पॉच हजार) रूपये व 50 नोट 500-500 के डमी करेंसी के कुल 25,000/-रूपये के उक्त नोटों को श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दायें तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती

राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत राशि प्राप्त करने का चश्मे उतार कर या फोन कर मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री सत्यप्रकाश से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात सुशील कुमार कानि. नं.-557 मय परिवादी श्री महेश मीणा को परिवादी की मोटर साईकिल से आगे-आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक,श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106, श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश को मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक विजय सिंह नं.- 339 के रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री परसराम कानि. नम्बर 203, श्री विनोद सिंह कानि. नं. 114 ,श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610 मय स्वतंत्र गवाह डॉ शिवदत्त के प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम भरतपुर जिला भरतपुर रवाना हुआ। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम भरतपुर जिला भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम भरतपुर जिला भरतपुर के अन्दर आरोपी के पास रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री सुशील कुमार कानि. को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया तत्पश्चात समय 03.35 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री महेश मीना के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जिला भरतपुर के मुख्य गेट से प्रवेश कर सीडियों द्वारा कार्यालय भवन के प्रथम तल पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री महेश मीना उपस्थित मिला। जिससे पूर्व से सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को प्रथम तल पर बने एक कक्ष जिस पर अधिशाषी अभियंता (सिविल) लिखा हुआ है, के अंदर कुर्सी पर बैठकर कार्य कर रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यही अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल)है जिन्होने अभी अभी मेरे से रिश्वत के 30,000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर अपने दांये हाथ से अपने कार्य करने की टेबल की दराज में रख लिये हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कक्ष के अंदर प्रवेश कर कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो उसने अपना नाम अवनीश सोनी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी 11 दर्शनपुरा एम.बी. कॉलेज के सामने पुलिस थाना भोपालपुरा जिला उदयपुर होना बताया जिसमे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री महेश मीना से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो अवनीश सोनी ने बताया कि मैंने रिश्वत राशि टॉयलेट में फ्लश कर दिया है जिस पर दराज की तलाशी कराई गई तो रिश्वत राशि नही मिली इस पर आरोपी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पुनः पूछा तो बताया कि मैने रिश्वत राशि को फ्लश कर दिया है इस पर बाथरूम एवं पूरे कक्ष की तलाशी ली जाने के उपरांत भी रिश्वत राशि नही मिली जिस पर पुनः आरोपी अवनीश सोनी को तसल्ली देकर पूछा तो आरोपी ने रिश्वत राशि 30,000 रूपये को अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की बांयी तरफ की जेब से निकालकर बताया कि ये रिश्वत राशि है इस पर रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह डॉ. शिवदत्त को दिलवाया जाकर कार्यालय में पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू पाई गई। रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 द्वारा विभागीय सरकारी वीडियो कैमरा से करवाई गई। इस पर आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता को डिटेन किया गया तत्पश्चात आरोपी अवनीश सोनी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा

तो बताया कि मैं अधिशाषी अभियंता सिविल के पद पर करीब 04 माह से पदस्थापित हूं मैं महेश मीणा संवेदक को जानता हूं जो जिला भरतपुर, जिला डीग एवं जिला दौसा में विद्युत विभाग के सिविल के कार्यों का संपादन करते हैं। संवेदक द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान मेरे कार्यालय द्वारा किया जाता है श्री महेश मीणा मेरे से दिनांक 19.06.25 को अपने बिलों के भुगतान के सम्बंध में मिलने आये थे जिनसे भुगतान को पास करने के सम्बंध में बातचीत हुई थी एवं एसडी रिफंड फॉर्म के लगभग 70,000 रूपये एवं एमडी रिफंड फॉर्म के लगभग 30,000 रूपये के फॉर्म पर हस्ताक्षर किये थे एवं दौसा में संवेदक द्वारा किये जा रहे कार्य के रनिग बिल के सम्बंध में बातचीत हुई थी। आज दिनांक 08.07.25 को श्री महेश मीणा मेरे पास आये थे और अपने बिल भुगतान के सम्बंध में बातचीत करने लगे जिस पर मैंने दौसा जीएसएस में किये जा रहे कार्य के 7,35,000 रूपये के बिल पर हस्ताक्षर किये थे तथा दिनांक 19.06.25 को हुई वार्तालाप के अनुसार श्री महेश मीणा संवेदक ने मुझे कुछ रूपये दिये जिनको मैंने अपने हाथ से लेकर अपने पहने हुए पेंट की पीछे की बांयी जेब में रख लिये तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर अधिशाषी अभियंता के कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल में बाथरूम में लगे हुए नल से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में अवनीश सोनी अभियंता के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी अवनीश सोनी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात पुनः श्री सत्यप्रकाश से ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी अवनीश सोनी के पहने हुए पेंट को उतरवाकर दूसरा पायजामा मंगवाकर पहनवाकर पहने हुए पेंट की पीछे की तरफ के बांयी जेब को उल्टा कर डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी-1 व पीपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात आरोपी के पेंट रंग काला को सुखवा कर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पीपी ' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह डॉ.शिवदत्त के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 30,000 रूपये (5,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 25,000 डमी रूपये) का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से पुनः कराया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये जिनके नम्बर क्रमशः 9RE994192, 9RE 994193, 9RE994194, 7RD751536, 6VR447591, 1TU649691, 5AD693643, 5KC436428, 9GD816088, 2QT145500 मिले एवं 50 नोट पांच-पांच सौ रूपये के डमी करेंसी कुल 25,000 पर आरोपी अवनीश सोनी , दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री महेश मीणा एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रमाण स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया, परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपी अवनीश सोनी ने अपने कक्ष से अपने कार्य करने की टेबल पर रखी हुई परिवादी श्री महेश मीणा संवेदक के कार्य से संबंधित दस्तावेजात पेश किये जिनका अवलोकन किया गया तो दस्तावेज 01 पेज संख्या 22 तक है। दस्तावेजात के पेज सं. 01 कवरिंग पत्र जिसमें राशि 7,31,659.33/- के भुगतान संबंधी आदेश है एवं पेज सं. 02 पर एसडी रिफंड 70414.48 रूपये भुगतान का कवरिंग लैटर है एवं पेज सं. 03 पर 30,000 रूपये की एमडी रिफंड का कवरिंग लैटर है। पेज सं. 04 पर आक्षेप पत्र एवं पेज सं. 05 पर आक्षेप पूर्ति आरोपी द्वारा की गई है तथा पेज सं. 07 पर अंतिम बिल है जिसकी भुगतान राशि 21,867.42 रूपये है। पेज सं. 08 पर 30,000 रूपये की एमडी रिफंड की मीमो है,

पेज सं. 09 पर 70,414 रूपये की एसडी रिफंड किये जाने की स्वीकृति है जो दिनांक 25.06.25 को आरोपी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई है, पेज सं. 10 पर उक्त एसडी रिफंड का मीमो है, पेज सं. 11 से 16 तक जीएसएस दौसा में परिवादी द्वारा किये जा रहे कार्य रिनोवेशन ऑफ 04 नं एच टाईप क्वाटर एट 220 केवी जीएसएस दौसा का द्वितीय रंनिग बिल है जिसके अनुसार 7,31659.33 रूपये का भुगतान किया जाना है तथा पेज संख्या-17 से 22 तक वर्क आर्डर नं. क्रमशः- 4600026757, 4600026935 ,4600027651, 4600026968, 4600028196, 4600028205 है। उक्त दस्तावेजात की कार्यवाही हाजा में बजह सबूत आवश्यकता होने पर दस्तावेजात की छायाप्रति कराकर मौके पर उपस्थित श्री गौरव अवस्थी सहायक अभियंता से छायाप्रति दस्तावेजात को प्रमाणित कराकर मूल दस्तावेजात को गौरव अवस्थी सहायक अभियंता को सुपुर्द की गई एवं परिवादी के पेंण्डिग कार्य के बिल भुगतान को शीघ्रताशीघ्र करने की हिदायत दी गई। प्रमाणित छायाप्रति दस्तावेजात का एक वल्क तैयार किया जाकर वल्क के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी अवनीश सोनी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी 11 दर्शनपुरा एम बी कॉलेज के सामने उदयपुर पुलिस थाना भोपालपुरा जिला उदयपुर हाल अधिशासी अभियन्ता (सिविल) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल) राजस्थान राज्य विघुत प्रसारण निगम भरतपुर द्वारा परिवादी श्री महेश मीणा संवेदक के बिलों के पास करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.06.2025 को 36,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर 30,000/-लेने पर सहमत होना उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 08.07.2025 को परिवादी से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल) राजस्थान राज्य विघुत प्रसारण निगम भरतपुर में रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 10 नोट (दस नोट) भारतीय चलन मुद्रा के कुल 5,000/-(पॉच हजार) रूपये व 50 नोट 500-500 के डमी करेंसी 25,000/-रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार आरोपी के मकान की खाना तलाशी हेतु एसीबी चौकी दौसा से श्री नवल किशोर उप अधीक्षक मय जाब्ता उपस्थित आये चूंकि आरोपी अवनीश सोनी के मुखर्जी नगर भरतपुर स्थित फ्लैट का ताला लगा होने से तलाशी हेतु श्री नवलकिशोर उप अधीक्षक को आरोपी के फ्लैट की चाबी सुपुर्द कर आरोपी को साथ रवाना किया गया एवं श्री दीपक कुमार कानि. नं. 75 को जरिए टेलीफोन हिदायत दी गई कि आप श्री नवलकिशोर उप अधीक्षक एसीबी दौसा से सम्पर्क कर मुखर्जी नगर स्थित आरोपी निवास की खाना तलाशी में सहयोग करें। तत्पश्चात घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर कार्यालय में लगी हुई लाइट की रोशनी में गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल छः , शील्ड पैन्ट पैकिट को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.06.25 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है मे स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी महेश मीणा व आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) आर.आर.वी.पी.एन. भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 19.06.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर मे माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा

मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 19.06.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया एवं वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता का मेमोरी कार्ड व वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री गजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की दो सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरी सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री महेश मीणा को कल दिनांक 09.07..25 को सुबह 9.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात श्री नवलकिशोर उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी दौसा मय जाब्ता मय आरोपी अवनीश सोनी के उपस्थित कार्यालय आये जिनसे पूर्व में गिरफ्तारशुदा मुलजिम को प्राप्त कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात श्री रीतरामसिंह सहायक उप निरीक्षक को मय श्री विनोद सिंह कानि., श्री सुशील कुमार कानि., मय सरकारी गाडी मय चालक के गिरफ्तारशुदा आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवाने की हिदायत देकर रवाना करने पर गिरफ्तारशुदा आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवाकर उपस्थित कार्यालय आये। इसके बाद दिनांक 09.07.2025 को समय 09.00 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान एव परिवादी श्री महेश मीणा उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 08.07.25 के माईक्रो एसडी कार्ड एवं वॉईस रिकॉडर को कार्यालय की आलमारी से निकाल कर मैमोरी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी महेश मीणा से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडियाँ तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 08.07.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 69 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति स्वतंत्र गवाह डॉ. शिवदत्त को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी अवनीश सोनी अधिशाषी अभियंता (सिविल) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री महेश मीणा जो कि राजकीय संवेदक है, उसके द्वारा जिला भरतपुर , डीग व दौसा में किये जा कार्यों के बिल भुगतान एवं एस.डी.रिफंड व एमडी रिफंड की राशि का भुगतान करने की एवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.06.25 को 13,000 रूपये की मांग करना तथा जरिए मोबाइल कॉल कर 36,000 रूपये की मांग करना तथा परिवादी के निवेदन पर 30,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होने एवं उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 08.07.25 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी को 30,000 रूपये (5,000 रूपये भारतीय चलन

मुद्रा एवं 25,000 डमी रूपये) को आरोपी के पहनी हुई पेंट की बांयी तरफ की पीछे की जेब से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी अवनीश सोनी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी 11 दर्शनपुरा एम बी कॉलेज के सामने उदयपुर पुलिस थाना भोपालपुरा जिला उदयपुर हाल अधिशासी अभियन्ता (सिविल) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल) राजस्थान राज्य विघुत प्रसारण निगम भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। ....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अवनीश सोनी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह सोनी जाति सोनी उम्र 56 साल निवासी 11 दर्शनपुरा एमबी कॉलेज के सामने उदयपुर पुलिस थाना भोपालपुरा जिला उदयपुर हाल अधिशासी अभियन्ता (सिविल) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम ----- पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1015-18 दिनांक 10.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. संयुक्त सचिव संस्थापन-प्रथम, राराविप्रनिलि जयपुर 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/07/2025 12:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/08/1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)